झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–489/2017– .... /राँची, दिनांक ....

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **तेनु–बोकारो नहर तेनुघाट के 27 कि०मी० के पास करणडीह ग्राम के निकट पुल का निर्माण कार्य के लिये रू० 29.869 लाख (रूपये उन्तीस लाख छियासी हजार नौ सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग प्रक्षेत्राधीन बोकारो जिलान्तर्गत दामोदर नदी पर तेनुघाट अनुमंडल मुख्यालय के पास निर्मित तेनु–बोकारो नहर तेनुघाट के 27 कि०मी० के पास करणडीह ग्राम के निकट पुल का निर्माण कार्य के लिये रू० 29.869 लाख (रूपये उन्तीस लाख छियासी हजार नौ सौ) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. तेनुघाट जलाशय से बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो को तेनु–बोकारो नहर द्वारा जलापूर्त्ति किया जाता है। इस नहर के आर–पार कि०मी० 27.00 पर करनडीह ग्राम के पास एक पथीय सेतु निर्माण का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित पुल निर्माण स्थल पर पी०सी०सी० नहर सेवा पथ निर्मित है। नहर का बाँया तटबंध नहर सेवा पथ के रूप में प्रयोग होता है। प्रस्तावित इस पुल निर्माण के साथ पुल के एप्रोच पथ के रूप में एप्रोच स्लैव के अलावे पी०सी०सी० कार्य का प्रावधान रखा गया है। नहर सेवा पथ नहर के बांये बांध पर है एवं एप्रोच पथ अचानक लगभग 4½ फीट डाउन है। इस एप्रोच पथ के दोनों तरफ गार्डवाल निर्माण का प्रावधान रखा गया है।

दाँये तरफ एप्रोच पथ के रूप में 12 फीट चौड़ाई में एप्रोच स्लैब एवं 60 फीट की लम्बाई में दोनों तरफ गार्डवाल बनाकर मूरम Sub-base देकर 4½ ईंच ग्रेड–1 के उपर ग्रेड–2 एवं ग्रेड–3 का प्रावधान रखा गया है।

4. प्रस्तावित कार्य को वर्ष 2017–18 में प्रारम्भ कर जून 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

5. जल संसाधन विभाग के लिये वर्ष 2017–18 के बजट में पुनर्स्थापन कार्यों के लिए एकमुश्त प्रावधान निम्नवत् है :–

(i) शीर्ष – 49S–4701–80–800–46–05–45 में रू० 1000.00 लाख

(ii) शीर्ष – 49S–4701–80–789–46–05–45 में रू० 200.00 लाख

(iii) शीर्ष – 49S–4701–80–796–46–05–45 में रू० 800.00 लाख

6. इस कार्य पर होने वाला व्यय–

(i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष –800– अन्य व्यय, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– निर्माण कार्य, तथा

(ii) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष 80 सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातीयों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

7. इस कार्य के नियंत्री पदाधिकारी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट होंगे।

8. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

9. (i) कार्य कराने के पूर्व असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा मापी एवं मरम्मति कार्य के मात्रा की जाँच करा ली जायेगी।

(ii) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व मरम्मति/पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

10. पुनर्स्थापन कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

11. प्रस्तावित कार्य की निकासी उप कोषागार तेनुघाट, बोकारो से की जायेगी।

12. प्रस्तावित कार्य के लिए वर्ष 2017–18 के बजट में उपबंध है।

13. प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

14. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–489/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–489/2017– .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– उप कोषागार तेनुघाट, बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 2/पी०एम०सी०/कार्य–489/2017– 1117-18 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 25.05.2017

प्रतिलिपि :– सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)